


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 174/2025

उनवानी :- श्रीमती केशन्ती बनाम छोटू व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
13.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील सायला उपस्थित। वकील सायला ने अवगत कराया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहती हैं। NOT PRESS में खारिज कराना चाहती है। इसलिए मुकदमा नं. 174/2025 उनवानी श्रीमती केशन्ती बनाम छोटू व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 18.08.2025 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश विद्घो किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>